FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0281   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 28/10/2025 18:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 25/10/2025   Date To (दिनांक तक): 27/10/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 10:30 बजे   Time To (समय तक): 12:15 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/10/2025   Time (समय): 15:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 28/10/2025 18:53:42 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 110 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

      (b) Address(पता): PANJIYAN SHAKHA, TEHSIL KARYALAY SARDARSHAHAR, CHURU

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ANJANI SONI

(b) Father's Name (पिता का नाम): NORATAN LAL SONI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BODIYE KUYE KE PASS, SARDARSHAHAR, SARDARSHAHAR, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BODIYE KUYE KE PASS, SARDARSHAHAR, SARDARSHAHAR, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NIRMAL SONI		पिता:OMPRAKASH SONI	1. HAAL,SAHAYAK PRASHASNIK ADHIKARI,TEHSIL KARYALAY,SARDARSHAHAR,SARDARSHAHAR,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

[redacted]

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	90000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	90,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 90,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 24.10.2025 को वक्त 09.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी हैल्प लाईन नम्बर 1064 ने परिवादी श्री अंजनी सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] उपलब्ध करवा सम्पर्क करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री अंजनी सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 09.15 पी.एम. पर जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मै सरदारशहर चुरु से बोल रहा हूँ। मैने तहसील कार्यालय सरदार शहर में कृषि भूमि के कन्वर्जन हेतु आवेदन कर रखा है। तहसील के बाबू श्री निर्मल सोनी व श्री रतन लाल तहसीलदार भूमि कन्वर्जन करने की एवज में 90 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे है। परिवादी ने बताया कि मै कल सुबह एसीबी चौकी झुंझुनूं पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर दुंगा। दिनांक 25.10.2025 को 10.30 एएम पर परिवादी श्री अंजनी सोनी पुत्र श्री नोरतन लाल सोनी निवासी बोडिए कुए के पास, सरदार शहर, जिला चुरु ने एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं का आधार कार्ड, खसरा नम्बर 521/206 ग्राम कल्याणपुरा बिदावतान में स्थित कृषि भूमि कन्वर्जन हेतु तहसीलदार कार्यालय सरदारशहर में किये गये ऑन लाईन आवेदन की स्वप्रमाणित फोटोप्रति मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय की पेश किया कि सेवामें श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्र. नि.ब्यूरो झुंझुनूं, विषय तहसीलदार सरदारशहर रतन लाल जी मीणा व बाबू निर्मल सोनी को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत। महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै अंजनी सोनी S/O नोरतन लाल सोनी निवासी बोडिये कुए के पास, सरदारशहर का निवासी हूँ। मेरी जमीन खसरा 521/206 ग्राम कल्याणपुरा बिदावतान त. सरदारशहर में है उक्त भूमि को में कृषि से आवासीय रुपान्तरण करवाने के लिए तहसीलदार सरदार शहर के ओफिस में लगाई है। जो मैने Online फाईलिंग 23/10/2025 को करी थी कल दिनांक 24/10/2025 को मेरी फाईल लेकर तहसीलदार साहब रतन लाल मीणा जी आफिस में मिला तो तहसीलदार साहब ने कहा आप निर्मल सोनी बाबू से मिल लो कितना पैसा जमा करवाना है। और ओफिस में क्या खर्चा लगेगा वो निर्मल आपको बता देगा जिस पर मै बाबू निर्मल सोनी से मिला का उन्होने बोला कन्वर्जन के अलावा एक लाख अलग से तहसीलदार साहब को काम करवाने देने पडेगे निर्मल सोनी और तहसीलदार रतन लाल मीणा मेरे जायज काम के लिए रिशवत मांग रहे है। मै उनको रिशवत नही देना चाहता हूँ और उनको रिशवत लेते पकड़वाना चाहता हूँ निर्मल सोनी ने आज दिनांक 25/10/2025 को दोपहर में अपने घर पर बात करने के लिए बुलाया है। मेरी निर्मल जी व तहसीलदार जी से कोई रंजीश नही है। और मेरा उनके बीच कोई लेनदेन बकाया नही है। रिपोर्ट करता हूँ कानुनी कार्रवाही करने की कृपा करे। एसडी भवदीय अंजनी सोनी S/O नोरतन लाल सोनी निवासी बोडिये कुए के पास, सरदार शहर M [redacted] दिनांक 25/10/2025 परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी श्री निर्मल सोनी बाबू से बात हुई है जिन्होने मुझे मेरे काम से संबंधित बात करने के लिए अपने घर पर बुलाया है जिनसे मै आज मिल कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। मेरा श्री निर्मल सोनी बाबू व श्री रतन लाल तहसीलदार से पहले का कोई उधार लेनदेन नही है, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री प्रवीण कुमार कानि.36 का परिचय परिवादी से करवाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर एवं खाली मैमारी कार्ड जिसमें पहले की कोई वार्ता रिकार्ड नही है, श्री प्रवीण कुमार कानि 36 को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर परिवादी श्री अंजनी सोनी के साथ उसकी गाडी से गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने की हिदायत मुनासिब कर सरदार शहर के लिए रवाना किया गया। समय 03.30 पीएम पर कानि. प्रवीण कुमार ने जरिये मोबाईल बताया कि मै व परिवादी सरदार शहर में श्री निर्मल सोनी के मकान के पास पहुंच परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु परिवादी को निर्मल सोनी बाबू के मकान पर भेजा जो कुछ समय बाद वापस आया जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री निर्मल बाबू ने मेरी कृषि भूमि कन्वर्जन करने की एवज में स्वयं, तहसीलदार व अन्य के लिए नब्बे हजार रुपये रिश्वत की मांग की है। मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताई गई बातो की ताईद होना पाई गयी। कानि. ने परिवादी श्री अंजनी सोनी की मन उप अधीक्षक पुलिस से वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी उक्त बातो की पुष्टी की। परिवादी ने बताया कि श्री निर्मल सोनी बाबू

को रिश्वत राशि सोमवार को देनी है। परिवादी ने बताया कि आज मुझे जरुरी काम होने से एसीबी कार्यालय झुंझुनूं नही आ सकेता हॅू। जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि 90,000 रुपये लेकर सोमवार को आने व कानि. प्रवीण कुमार को कार्यालय आने की हिदायत की गई। समय 10.00 पीएम पर कानि. प्रवीण कुमार नम्बर 36 उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी को चला कर सुना गया तो कानि व परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। दिनांक 26.10.2025 को श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40 गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री नरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग झुंझुनूं को पाबन्द कर हाजिर आया। दिनांक 27.10.2025 को वक्त 06.00 एएम पर परिवादी श्री अंजनी सोनी गोपनीय कार्यवाही हेतु मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि 90,000 रुपये लेकर उपस्थित कार्यालय आया। स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री नरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग झुंझुनूं उपस्थित कार्यालय आये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। परिवादी श्री अंजनी सोनी व आरोपी श्री निर्मल सोनी, बाबू तहसील कार्यालय सरदार शहर से रुबरु हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमारी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। उक्त डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्युटर से जोडकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री प्रवीण कुमार कानि. 36 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादी श्री अंजनी सोनी व आरोपी श्री निर्मल सोनी बाबू के बीच दिनांक 25.10.2025 को हुई रिश्वत मांग संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी श्री अंजनी सोनी व स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार व श्री नरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण तैयार किया गया। मैमारी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को तीन पैनड्राईव कम्पनी hp 32gb के तैयार कर पैन ड्राईव की हैश वैल्यु निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB को निकालकर उसी की पैंकिग में रखकर मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर थैली पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री निर्मल सोनी बाबू की आवाज होने की पहचान की है। पैकेटो को शिल्ड करने में पितल की नमूना शील नम्बर 4 उपयोग में ली गई। उक्त फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अंजनी सोनी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 90,000 रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 180 नोट कुल 90,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर मे अंकित करवाकर नोटो पर श्री दलीप कुमार कानि 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री सुरेश कुमार से परिवादी श्री अंजनी सोनी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 90,000 रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि. 10 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री अंजनी सोनी को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप सिंह कानि 10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 09.40 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री अंजनी सोनी, श्री प्रवीण कुमार कानि 36, स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार व श्री नरेन्द्र सिंह, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप, डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि. 155, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, श्री कुमार सानु कानि 138, विक्रम सिंह कानि 92, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु सरदार शहर के लिए रवाना हुये। श्री दलीप कुमार कानि 10 को कार्यालय में छोडा गया। समय 11.55 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के तहसील कार्यालय सरदार शहर के पास बाजार में पहॅुच वाहनो को साईड में खडा कर परिवादी

व समस्त टीम को ब्रीफ किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में मैमारी कार्ड खाली होना सुनिश्चत कर परिवादी को सुपूर्द कर परिवादी के साथ कानि प्रवीण कुमार को तहसील कार्यालय सरदार शहर रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के परिवादी के मुकर्र ईशारे के इंतजार में तहसील कार्यालय के आसपास मुकिम हुये। समय 12.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी का मिस काल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के तहसील कार्यालय में पंजीयन शाखा कक्ष में पहुंचे जहा परिवादी उपस्थित मिला जिससे डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। कक्ष के अन्दर दाहिनी तरफ एक छोटा कमरा बना हुआ था जिसमें कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। परिवादी ने कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ हाथ का ईशारा कर बताया कि यही श्री निर्मल सोनी बाबू जी है जिन्होने अभी-अभी मेरे से 90,000 रुपये रिश्वत राशि के अपने बाये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रख लिये है, जिस पर मन् उप अधीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम निर्मल सोनी पुत्र श्री औमप्रकाश सोनी, निवासी वार्ड नम्बर 25, बस स्टेण्ड के पास, सरदार शहर, जिला चूरु हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सरदार शहर जिला चूरु होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री निर्मल सोनी, को परिवादी श्री अंजनी सोनी से 90,000 रुपये किस बात के लिए है पूछने पर बताया कि मै श्री अंजनी सोनी को 7-8 साल पहले तीन लाख रुपये उधार दिये थे उन रुपयो में से आज अंजनी कुमार ने मुझे 90,000 रुपये दिये है ये 90,000 रुपये ये मेरे जो मैने उसे उधार दे रखे थे उनमें से ये दिये है, अभी तो दो लाख दस हजार रुपये बकाया है, इन्होने आज मुझे 90,000 रुपये दिये है जो मेरी पहनी पेंट की जेब मे रखे है। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री अंजनी सोनी ने आरोपी की बातो का खण्डन करते हुये कहा कि श्री निर्मल सोनी बाबू जी झुठ बोल रहा है ये मेरे कोई उधार के रुपये नही मांगता है। मैने मेरी कृषि भूमि के कन्वर्जन की आन लाईन फाईल तहसील कार्यालय सरदार शहर में लगाई थी। मै मेरे काम के संबंध में श्री निर्मल बाबू जी से मिला तो उन्होने मेरे से एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की तथा दिनांक 25.10.2025 को मै उनके घर पर मिला तो इन्होने मेरे से मेरे भूमि कन्वर्जन करने की एवज में स्वयं तथा तहसीलदार, पटवारी जी व अन्य के लिए 90,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी तथा इन्होने आज मेरे से 90,000 रुपये रिश्वत के लिये है। इसके बाद आरोपी श्री निर्मल कुमार कुछ नही बोला तथा जोर-जोर से कहने लग गया कि मेरी मुकेश या देवेन्द्र से बात करा दो। तत्पश्चात आरोपी श्री निर्मल सोनी का दाहिना हाथ श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से तथा बाया हाथ विक्रम सिंह कानि 92 से हाथो की कलाईयो के उपर से पकड़वाया। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि. के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो प्लास्टिक के गिलासो में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घोल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री निर्मल सोनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को उक्त रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग बहुत हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने बहुत हल्का गुलाबी होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया तथा आरोपी श्री निर्मल सोनी के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। दोनो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को जला कर नष्ट करवाया गया। मौके पर भिड़भाड़ होने से सुरक्षा की दृष्टी से अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय से रवाना होकर समय 12.55 पी.एम. पर पुलिस थाना सरदार शहर पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री निर्मल सोनी को रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब से नोटो की थई निकाल कर पेश की, उक्त नोटो का दोनो गवाहान से पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट के मुताबिक होना बताया। बरामदशुदा उपरोक्त 90,000 रूपयों के नोटो को एक सफेद कपड़े में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कपड़े पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी श्री निर्मल सोनी की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेश कुमार से लिवाई गई तो आरोपी के पास से 31,280 रुपये नकद तथा एक लाईनदार कागज पर दिनांक 18.10.2025 विक्रेता पायल, श्यामलाल, मौ0 रफीक, औमप्रकाश क्रेता औमप्रकाश सोनी के मध्य दिनांक 17.10.2025 को एग्रीमेंट पेटे 20 लाख रुपये की लिखापढी, सब रजिस्ट्रार सरदार शहर के दिनांक 17/10/2025 केशरी चन्द पुत्र स्व0 श्री सागर मल सोनी के नाम से 89,875 रुपये की रसीद, मानचित्र भूमि श्रीमती मुमताज बानो पत्नि बदरुदीन जाति चोपदार वाके रोही कस्बा सरदार शहर चूरु एवं अन्य हिसाब किताब की पर्चिया मिली है। आरोपी श्री निर्मल सोनी से बरामद राशि 31,280 रुपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मेरे द्वारा ये रुपये घर से आते समय जेब में उपलब्ध पर्चियो का भुगतान करने व रंग रोगन वाले को देने के लिए, 2250 रुपये मिठाई के बकाया देने के लिए साथ में लिये थे। मकान का कार्य चल रहा है एवं बाजार में सामान

का भुगतान करना है। आरोपी का जवाब सन्तोष जनक नही होने पर संदिग्ध राशि पृथक से जप्त की गयी एवं जामा तलाशी में मिले कागजात के बारे में आरोपी ने बताया कि दिनांक 18.10.2025 का 20 लाख की लिखापढी का कागज जमीन आशोक बेरासरिया निवासी काका कालोनी सरदार शहर ने मुझे दिया था एवं इससे संबंधित ईकरारनामा लिखवाना था, 89875 रुपये की रसीद के बारे में बताया कि यह रसीद मुद्राक प्रकरण 530/2025 में प्रार्थी की प्राप्ति रसीद उसको देनी थी व अन्य पर्चियां मेरे घरेलु सामान संबंधी थी। आरोपी श्री निर्मल सोनी का सन्तोष जनक जवाब नही देने से कागजात पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा पृथक से जप्त किये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री निर्मल सोनी को पहनने हेतु लोअर (पायजामा) की व्यवस्था करा पहनी हुई जिंस पेंट बरंग ब्ल्यू को ससम्मान उतरवा गई। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 के दोनो हाथो एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री निर्मल सोनी की पेंट की सामने की बाई जेब को उलटवाकर तैयार रंगहीन धोवन में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना स्वीकार किया। दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर लिये गये धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क पी-1 पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। आरोपी की पेंट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा जिंस पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री निर्मल सोनी, सहायक प्रशानिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सरदार शहर के बरामदगी रिश्वत राशि, हाथो के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर चलाकर देखा तो कुल तीन विडियो क्लीप रिकार्ड होना पाई जिनको बारी-बारी से चलाकर देखा तो तीनो विडियो क्लीप चालु होना पाई गई। मैमोरी कार्ड रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क सी अंकित किया गया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री निर्मल सोनी पुत्र श्री औमप्रकाश सोनी, निवासी वार्ड नम्बर 25, बस स्टेण्ड के पास, सरदार शहर, जिला चूरु हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सरदार शहर जिला चूरु द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री अंजनी सोनी से उसकी कृषि भूमि के कन्वर्जन करवाने की एवज दिनांक 25.10.2025 को स्वयं व तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य के नाम से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 90,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में आरोपी श्री निर्मल सोनी ने परिवादी से 90,000 रुपये प्राप्त कर पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि 90,000 रुपये बरामद हुई है। इस प्रकार आरोपी श्री निर्मल सोनी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर जूर्म से आगाह कर एवं आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत करा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके बहनोई श्री रविन्द्र कुमार सोनी को दी गई। परिवादी श्री अंजनी सोनी द्वारा 27.10.2025 को आरोपी श्री निर्मल सोनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी वक्त रिश्वत लेनदेन रूबरू हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को लेपटॉप से जोड़कर रिकार्ड वार्ता का फर्द वार्ता रुपान्तरण प्रवीण कुमार कानि 36 से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया । डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी hp 32gb के तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव hp 32gb को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क डी अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड geonix 32 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सीव्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क डी-1 अंकित किया गया। सीव्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी श्री निर्मल सोनी की आवाज होने की पहचान की है। फर्द वार्ता रुपान्तरण वक्त रिश्वत लेनदेन तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री अंजनी सोनी की उपस्थिति में आरोपी श्री निर्मल सोनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सरदार शहर जिला चूरु में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 4 को कार्यालय के श्री विक्रम सिंह कानि 92 से नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार की गई। आरोपी श्री निर्मल सोनी, सहायक

प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध समस्त ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न होने से परिवादी श्री अंजनी सोनी को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। बाद कार्यवाही मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य, स्वतंत्र गवाहान एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी श्री निर्मल सोनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सरदार शहर, जिला चूरु को हमरा लेकर ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात जप्त शुदा वजह सबुत आर्टिकल को हमरा लेकर झुंझुनूं पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में सील्ड जप्तशुदा वजह सबुत आर्टिकल एच.एम. मालखाना को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराये गये। स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार व नरेन्द्र सिंह को रुखसत किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री निर्मल सोनी पुत्र श्री औमप्रकाश सोनी, निवासी वार्ड नम्बर 25, बस स्टेण्ड के पास, सरदार शहर, जिला चूरु हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सरदार शहर जिला चूरु द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री अंजनी सोनी से उसकी कृषि भूमि के कन्वर्जन करवाने की एवज में दिनांक 25.10.2025 को स्वयं व तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य के नाम से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 90,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में आरोपी श्री निर्मल सोनी ने परिवादी से 90,000 रुपये प्राप्त कर पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि 90,000 रुपये बरामद हुई है। इस प्रकार आरोपी श्री निर्मल सोनी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं से प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री निर्मल सोनी पुत्र श्री औमप्रकाश सोनी, उम्र 44 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 25, बस स्टेण्ड के पास, सरदारशहर, पुलिस थाना एवम तहसील जिला चूरु हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय सरदारशहर जिला चूरु के विरूद्ध पंजीवद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 6[illegible] पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक [illegible]-94 दिनांक 28.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2. जिला कलेक्टर, चूरू 3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख **धारा के तहत हैं)**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण** दर्ज किया गया और जाँच **के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को** जाँच अपने पास में लेने के **लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता **को दी गई|)**

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)